प्रारुप-1

कार्यालय जिलाधिकारी, हमीरपुर

(खनन अनुभाग)

संख्या- 1513 / खनिज-एम०एम०सी-तीस विज्ञप्ति मौरम (2023-24) दिनांक- 13-12-,2023

ई-निविदा आमंन्त्रण हेतु ई-निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि शासन के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के शासनादेश संख्या—781/86—2020—14(सा0)/2020 दिनांक—23.05.2020 में उल्लिखित निर्देशानुसार जनपद हमीरपुर में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/मौरम के खनन क्षेत्रों को छः माह की अल्प अवधि के लिये ई—निविदा प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत करने के आशय से उपलब्ध घोषित करते हुये दिनांक—23.112-202.3 से 29.121202.3 (05 कार्य दिवस) की अवधि में क्षेत्रों के लिये ई—निविदा पोर्टल "etenders.up.nic.in" पर ई—निविदाये उल्लिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण :--

क्ठ 0i)	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या / खण्ड सं0	क्षेत्रफ ल (एकड़ में)	ifuufi	जियोकॉर्डिनेट		उपखनिज का नाम	उपखनिज की मात्रा	आधार मूल्य (रायल्टी दर X निर्धारित/ आंकलित	अर्नेस्ट मनी (आधार मूल्य का 50 प्रतिशत)
4	2	2				अक्षांश	देशान्तर		(घनमी० में)	मात्रा)	,
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1	हमीरपुर	बेरी	10/4	65	जत्तर-ग्राम बेरी की निजीमूमि दक्षिण-ग्राम बजेहटा की निजी मूमि मूर्व-खण्ड संख्या-10/2 पश्चिम-खण्ड संख्या-10/5	C-N-25°53'1.20" D- N-25°52'45.54" E- N-25°52'40.10"	E-79°55'56.00" E-79°56'3.94" E-79°56'10.03" E-79°56'23.15" E-79°56'6.40"	बालू./ मौरम	2,91,456	4,37,18,400	2,18,59,200
2	हमीरपुर	सहरापुर	18/1	90	पूर्व-खण्ड स—18/17 पश्चिम—खण्ड संख्या—18/1	A- N-25°53'41.90" B- N-25°53'52.17" C-N-25°53'54.54" D- N-25°53'45.15"	E-80°2'43.07" E-80°2'45.06" E-80°2'0.17" E-80°2'2.04"	बालू / मौरम	2,91,456	4,37,18,400	2,18,59,200
3	हमीरपुर	बेरी	10/3	90	दक्षिण—ग्राम अछपुरा व बेतवा नदी की सीमा। पूर्व— खण्ड सं0—10/2 पश्चिम—खण्ड सं0—10/4	A-N-25°53'14.90'' B-N-25°53'1.21'' C-N-25°52'45.54'' D-N-25°53'3.60''	E-79°56'26.50" E-79°56'10.03" E-79°56'23.15" E-79°56'38.30"	बालू/ मौरम	2,91,456	4,37,18,400	2,18,59,200
4	हमीरपुर	बेरी	23/27	60	विक्षण— खण्ड संख्या—23/26 पूर्व— काश्त भूमि पश्चिम—काश्त भूमि।	A- N-25°53'10.7" B- N-25°53'04.42" C- N-25°53'18.20" D- N-25°53'26.70"	E-79°54'6.44" E-79°53'55.45" E-79°53'42.98" E-79°53'59.40"	बालू / मौरम	1,94,304	2,91,45,600	1,45,72,800
5	हमीरपुर	बेरी	10/30	30	दक्षिण—ग्राम भुजपुर के निजी भूमिधरों के खेत पूर्व— खण्ड सं0—10/31 पश्चिम—खण्ड सं0—10/29	A- N-25°53'17.45" B- N-25°53'14.46" C- N-25°52'57.66" D- N-25°53'1.19"	E-79°52'25.21" E-79°52'16.88" E-79°52'24.36" E-79°52'31.42"	बालू / मौरम	97,152	1,45,72,800	72,86,400
6	हमीरपुर	बेरी	10/1	90 à	उत्तर-ग्राम इन्द्रपुरी/बिन्दपुरी के किसानों का खेत व बेतवा नदी की सीमा। दक्षिण-ग्राम बजेहटा डाडा व बेतवा नदी की सीमा पूर्व-खण्ड संख्या–20/7 की सीमा व क्षेत्र पश्चिम-खण्ड संख्या–10/2 की सीमा व क्षेत्र	A- N-25°53'30.60" B- N-25°53'44.79" C- N-25°53'32.32" D-N-25°53'18.10"	E-79°57'10.69" E-79°57'00.90" E-79°56'41.40" E-79°56'54.10"	बालू / मौरम	2,91,456	4,37,18,400	2,18,59,200
7	हमीरपुर	बेरी	10/2	90 व पू	उत्तर-मौजा इन्द्रपुरी की कारतभूमि दक्षिण-ग्राम बजेहठा की कारतभूमि पूर्व-खण्ड सं0-10/1 पश्चिम-खण्ड संख्या-10/3	A- N-25°53'14.90" B- N-25°53'32.30" C- N-25°53'18.10" D- N-25°53'3.60"	E-79°56'26.50" E-79°56'41.40" E-79°56'54.10" E-79°56'38.30"	बालू / मौरम	2,91,456	4,37,18,400	2,18,59,200

8	हमीरपुर	पत्यौरा	31/5	90	उत्तर-यमुना नदी जलघारा आगे फतेहपुर की सीमा स्थित यमुना नदी। दक्षिण-काश्त भूमि पूर्व-खण्ड सं0–31/4 पश्चिम-खण्ड संख्या–31/6	A- N-25°55'28.61" B- N-25°55'54.02" C- N-25°55'45.21" D- N-25°55'22.20"	E-80°15'45.21" E-80°16'4.92" E-80°16'15.64" E-80°15'57.36"	बालू / मौरम	3,64,320	5,46,48,000	2,73,24,000
9	मौदहा	टीकापुर	20/5	90	उत्तर-ग्राम पारा की सीमां। दक्षिण— टीकापुर की सीमा। पूर्व— खण्ड संख्या—20/4 पश्चिम—खण्ड संख्या—20/6	A- N-25°54'21.20" B- N-25°54'2.52" C- N-25°53'51.37" D- N-25°54'6.02"	E-79°57'38.91" E-79°57'45.60" E-79°57'31.06" E-79°57'18.72"	बालू / मौरम	2,91,456	4,37,18,400	2,18,59,200
10 '	मौदहा	टीकापुर	20/6	60	उत्तर–बेरी की सीमा। दक्षिण–टीकापुर की सीमा। पूर्व– खण्ड संख्या–20/5 पश्चिम–खण्ड संख्या–20/7	A- N-25°53'56.27" B- N-25°53'40.77" C- N-25°53'51.37" D- N-25°54'6.02"	E-79°57'8.51" E-79°57'20.50" E-79°57'31.06" E-79°57'18.72"	बालू / मौरम	1,94,304	2,91,45,600	1,45,72,800
11	मौदहा	टीकापुर	20/7	60	के भूमि की सीमा। पूर्व-बेतवा नदी में खण्ड	A-N-25*53'56.27'' B-N-25*53'40.77'' C-N-25*53'30.60'' D-N-25*53'45.82''	E-79'57'8.51" E-79'57'20.50" E-79'57'10.60" E-79'57'0.34"	बालू / मौरम	1,94,304	2,91,45,600	1,45,72,800

शर्ते :-

- 1. खनन अनुज्ञा—पत्र की अवधि (मानसून सत्र अर्थात माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर को छोड़कर) अधिकतम 06 माह के लिये होगी।
- 2. जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित उपखनिज (बालू या मौरम या बजरी या बोल्डर या इनमे से कोई भी मिली जुली अवस्था में हो) की मात्रा यदि पर्यावरण अनापित्त प्रमाण पत्र में अनुमन्य मात्रा से भिन्न हो तो पर्यावरण अनापित्त में उल्लिखित की मात्रा अनुमन्य होगी।
- 3. किसी क्षेत्र के ई—निविदा हेतु निविदा में भाग लेने से पूर्व प्री बिड अर्नेस्ट मनी जमा करना अनिवार्य होगा। अनेस्ट मनी, आधार मूल्य के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगी जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से सम्बन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहां वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम रुप में दी जायेगी। प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग—अलग निविदा प्रस्तुत की जायेगी तथा तद्नुसार प्रत्येक क्षेत्र के लिये अलग—अलग कोंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।
- 4. ई-निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में आंकलित उपखनिज बालू, मौरम, बजरी, बोल्डर की मात्रा एवं खनन स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के लिये मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई-निविदा में भाग लेने के पश्चात् इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- 5. यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में ई—निविदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई—निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगी:—
 - (क) ई-निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले बिडर्स/कन्ट्रेक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी सर्टिफाइंग एजेन्सी से टाईप-॥ का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
 - (ख) इच्छुक व्यक्ति / फर्म / कम्पनी (आवेदक) को यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से etenders.up.nic.in पर आनलाईन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति / फर्म / कम्पनी को ई—निविदा etenders.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाईन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूंजर आई०डी० व पासवर्ड बनायेंगें
 - (ग) बिडर्स / कन्ट्रैक्टर्स / बेन्डस ई-निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

2

- (घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करगें। इसके अतिरिक्त संबन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।
- 6. निविदादाता द्वारा ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय etenders.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के समय संलग्न प्रारुप—2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा :—

प्रारुप-2 की सूचनायें :-

क- विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।

ख- विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक

ग- निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई-मेल एवं मो०नं०।

घ- उस क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है।

ड्- अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0-2000 / - का चालान संख्या व दिनांक।

च— आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।

छ- पैनकार्ड का क्रमांक।

ज- चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।

झ- कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र :--

क— ई—निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रु०—2,000 / — का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख– आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

ग- पैन कार्ड।

घ— जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्रधिकृत किया जाय, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहाँ आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहाँ इस आशय का शपथ पत्र।

ड़- सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ वह स्थायी रुप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र

तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

7. विज्ञप्ति के अनुसार पाँच कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के दो सदस्यों के डिजिटल सिग्नेचर द्वारा खोला जायेगा।

8. यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या—6 में वांछित अभिलेख / बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई—निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई—निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारुप—2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदाकार का नाम व मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

9. बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई-निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि (निविदा डाले जाने की अन्तिम तिथि के अगले कार्यदिवस) तक सम्बन्धित खनिज कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा उसकी ई-निविदा नहीं

खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

10. सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन, उस क्षेत्र पर खनन अनुज्ञा दिये जाने के लिये किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता द्वारा निविदा डाले जाने के समय आनलाईन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति सम्बन्धित खनिज कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा, जिसका कार्यालय द्वारा अपलोड किये गये अभिलेखों से मिलान कर लिया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदाकर्ता के पक्ष में खनन अनुज्ञा हेतु आशय पत्र जारी किया जायेगा।

11. सफल निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य निविदादाताओं द्वारा प्रस्तुत अर्नेस्ट मनी के बैंक ड्राफ्ट को

उसे वापस कर दिया जायेगा।

12. प्राप्त ई—निविदा के अनुसार 06 माह के लिये देय कुल निविदा धनराशि के 50 प्रतिशत की धनराशि में से अर्नेस्ट मनी के रुप में जमा धनराशि को समायोजित कर शेष धनराशि आशय पत्र निर्गत होने के दो कार्यदिवसों के अन्दर जमा करना पड़ेगा। शेष 50 प्रतिशत की धनराशि अनुज्ञा पत्र जारी होने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। निविदा धनराशि पर नियमानुसार डी०एम०एफ० एवं टी०सी०एस० देय होगा।

13. जिन क्षेत्रों में पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, उन क्षेत्रों के सफल निविदादाता को नियमानुसार पर्यावरण अनापित्त को अपने पक्ष में हस्तान्तरण करना होगा। जिन क्षेत्रों के लिये पर्यावरण प्राप्त नहीं है, के सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक—14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण अनात्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। अनुज्ञा—पत्रधारक से अनुज्ञा अविध समाप्ति के उपरान्त पर्यावरण स्वीकृति अनुवर्ती प्रस्तावक अथवा राज्य सरकार के पक्ष में अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में सहमति पत्र लिया जायेगा।

14. पर्यावरण अनापितत प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त नियमानुसार क्षेत्र का सीमांकन किया जायेगा। तत्पश्चात् खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया

जायेगा।

15. अनुज्ञा पत्र में विर्निदिष्ट अवधि की समाप्ति दिनांक तक, या ऐसे दिनांक तक जब तक खनिज की अनुज्ञात मात्रा हटा न ली जाये, इनमें से जो भी पहले हो, के लिये अनुज्ञा पत्र वैध रहेगा।

16. पर्यावरण अनात्ति प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रियायें सम्पादित करेगा।

17. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तो का निर्धारण सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।

18. मा० उच्चतम / उच्च न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश, उत्तर प्रदेश उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 तथा समय समय पर निर्गत समस्त संगत शासनादेशों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

19. जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित सुरक्षा क्षेत्र में खनन नही किया जायेगा।

20. अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा नियमों व खनन पट्टा, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तो का उल्लघन किया जाता है तो अनुज्ञा पत्र धारक को अपना मामला बताने की युक्ति युक्ति अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र समाप्त किया जा सकता है।

21. नियमों एवं शर्तो के उल्लघंन के परिणाम स्वरुप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञा पत्र धारक की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा किया जायेगा। 22. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों / अधिनियमों में कोई संशोधन होता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह अनुज्ञा पत्र धारको को मान्य होगा। 23. वैज्ञानिक आधार पर मात्रा का संशोधन जरूरत पड़ने पर किया जा सकता है।

(राहुल पाण्डेय) जिलाधिकारी, हमीरपुर

संख्या-

/तद्दिनांक-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1. प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
- 2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० खनिज भवन, लखनऊ।
- 3. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म उ०प्र०, प्रयागराज।
- 4. प्रबन्ध निदेशक, यू०पी० इलेक्ट्रानिक्स कारपीरेशन लि०, अशोक मार्ग, लखनऊ।
- 5. निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति को व्यापक प्रचार प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
- 6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई०सी०, लखनऊ।
- 7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, हमीरपुर।
- 8. कार्यालय आदेश दिनांक—27.05.2020 के द्वारा गठित निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी, हमीरपुर

खनन अनुज्ञा-पत्र हेतु ई-निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण-किसी प्रकार के कंटिग/ओवरराइटिंग पर ई-निविदा निरस्त की जा सकती है।

	विज्ञप्ति संख्या व दिनॉक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
	निविदाकार का नाम	
I.	निविदाकार के पिता का नाम	
j.	स्थायी पता	
5.	वर्तमान पता	
7.	मोबाईल नम्बर	
8.	ई-मेल आईडी	
9.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण क. उपखनिज का नाम– ख. जनपद का नाम–	
	ग. तहसील का नाम— घ खनन क्षेत्र का नाम/ ग्राम—	
	इ. गाटा संख्या / खण्ड संख्या / जोन संख्या— च. क्षेत्रफल(एकड़ में)—	
10.	आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र संख्या (आधार कार्ड की स्कैन कापी ई—टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
11.	पैन कार्ड नम्बर (पैन कार्ड की स्कैन्ड कापी ई-टेण्डर पटिल पर	
12.	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबंध में अदेयता प्रमाण पन्न/घोषणा पन्न/शपथ पन्न (अदेयता प्रमाण पन्न/घोषणा पन्न/ शपथ पन्न की स्कैन कापी	
13	. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र का संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो। (चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
14	(DIN की स्केन्द्र कापी ई-टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।)	
15	्रिक कि के अनुसूची एक म	ड्राफ्ट धनराशि —— बैंक का नाम व शाखा ——— ड्राफ्ट का नम्बर ———

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नहीं गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपन्न की समस्त शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक:-

निविदाकार के हस्ताक्षर